122

5 रु. भारत पाँच रुपये INDIA FIVE RUPEES Rs.5

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर कैम्प भोपाल म०प्र०

प्र0क0 /18निग0 I/निगरानी/विदिशा/भू.रा./2018/01975

श्रीमति सीमा सेन आयु 28 वर्ष पत्नि श्री वीरसिंह सेन निवासी अयोध्या वस्ती हलाली कालोनी विदिशा म0प्र0..आवेदिका

बनाम

दीपिका लोधी आयु 26 वर्ष पुत्री श्री खुमानसिंह लोधी निवासी एच0सी0आई0 गोदाम के पीछे विदिशा म0प्र0 ....अनावेदिका

123

अभिभाषक श्री ... द्वारा आज दिनांक 01.03.2018 को पेश।
अधीक्षक

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0संहिता 1959 विरूद्ध आदेश दिनांक 09.01.2018 न्यायालय अपर कलेक्टर महोदय, विदिशा के प्रकरण कमांक 72/16–17 अपील व मामले दीपिका लोधी बनाम सीमा सेन

माननीय महोदय,

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय महोदय, विदिशा के न्यायालय में अनावेदक (अपीलांट) दीपिका लोधी ने माननीय बाल विकास परियोजना अधिकारी शहरी विदिशा के आदेश कमांक 08/नियु0/आई0सी0डी0एस0/2017 विदिशा, दिनांक 04.01.2017 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है उक्त अपील समय सीमा के अंदर न होने से अपील के समर्थन में प्रथक से एक आवेदन अंतर्गत धारा 05 अवधि विधान इस आशय का प्रस्तुत किया कि अपीलांट को अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.01.2017 की नकल दिनांक 11.04.2017 को सूचना के अधिकार के तहत व मुश्किल प्राप्त हो सकी है तथा नकल प्राप्त होने के पश्चात् अपीलांट मलेरिया बुखार से बीमार हो गई तथा दिंनाक 12.05.2017 को स्वास्थ्य हुई तब अपीलांट ने दिनांक 13.05.2017 को अपने अभिभाषक से अपील तैयार करवाकर

3

XXIX(a)-BR(H)-11

(422)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - एक/निगरानी/विदिशा/भू.रा./2018/1975

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05-12-18	आवेदक की ओर से यह निगरानी अपर कलेक्टर के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अपर कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24-4-19 को आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	